



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102025-266683
CG-DL-E-06102025-266683

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 6, 2025/आश्विन 14, 1947

No. 43]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 2025/ASVINA 14, 1947

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2025

आ. अ. 43(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग, पंजाब राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा तारीख 6 अक्तूबर 2025 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में इस राज्य से राज्य सभा के लिए होने वाले उप निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा-

- (i) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और
(ii) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है।

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)
श्री राम लोक खटाणा, सचिव, पंजाब विधान सभा सचिवालय	श्री जसविंदर सिंह, उप सचिव, पंजाब विधान सभा सचिवालय

[फा. सं. 100/रा.स.- पंजाब/02/2025(2)]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th October, 2025

O.N. 43 (E).—In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, in consultation with the Government of the State of Punjab, hereby-

- (i) designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer; and
- (ii) appoints the officers, specified in column (2) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions;

in respect of the bye-election to the Council of States, to be held in the State in pursuance of the Commission's Notification, published in the Gazette of India on 6th October, 2025: -

TABLE

Officer Designated as Returning Officer	Officer Appointed as Assistant Returning Officer
(1)	(2)
Shri Ram Lok Khatana, Secretary, Punjab Vidhan Sabha Secretariat	Shri Jaswinder Singh, Deputy Secretary, Punjab Vidhan Sabha Secretariat

[F. No. 100/CS-PB/02/2025 (2)]

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.